

कोविड सर्वे में तैनात किए गए 51 मजिस्ट्रेट

गाजियाबाद (एसएनबी)। आशा, एएनएम द्वारा 'डोर-टू डोर' किए जा रहे सर्वे की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए जिला प्रशासन ने 51 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। यह मजिस्ट्रेट थानावार क्षेत्र में काम कर रही सर्वे टीम की मॉनिटरिंग करेंगे और उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन देनी होगी। किस थाना क्षेत्र में कितने पॉजिटिव मरीज हैं, कंटेन्मेंट जोन हैं, उनमें संदिग्ध मरीजों की क्या स्थिति है इन सबकी जांच की जाएगी। इसके अलावा किस क्षेत्र में कितने मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, इसकी भी रिपोर्ट तैयार होगी। गौरतलब है कि इन दिनों कोरोना संक्रमित व कंटेक्ट में आने वाले संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की जांच के लिए 'डोर टू डोर' सर्वे आशा, एएनएम द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में संक्रमण के मरीज इस सर्वे में चिन्हित किए गए हैं, तो वहीं अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी इस संक्रमण से बचाव के लिए उपाय सुझाए गए हैं।

छूट चाहिए तो 31 तक जमा कराना होगा हाउस टैक्स

गाजियाबाद (एसएनबी)। अगर हाउस टैक्स में छूट चाहिए तो 31 अगस्त तक टैक्स जमा कराना होगा। इसके बाद छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। 31 तक अधिक से अधिक लोग टैक्स जमा करा सकें इसके लिए नगर निगम ने दो लाख 27 हजार लोगों को हाउस टैक्स के डिमांड नोटिस जारी किए हैं। नगर निगम के विजयनगर, कविनगर, वसुंधरा, मोहननगर और सिटी जोन से सभी दो लाख 27 हजार भवन स्वामियों को हाउस टैक्स के नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी को ऑनलाइन के साथ मैनुअल नोटिस भी जारी किए गए हैं, ताकि उन पर बकाया टैक्स जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा सके।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आज

नोएडा (एसएनबी)। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मंगलवार को होगी है। एमएसएमई श्रेणी के उद्यमियों ने प्राधिकरण से मांग की है कि बोर्ड बैठक में ऐसे प्रस्ताव पास किए जाएं जिससे कोरोना की वजह से संकट में आए एमएसएमई उद्योगों को राहत मिल सके। एमएसएमई के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहट्टा ने बताया कि प्रस्ताव को बोर्ड बैठक से पास कराने के लिए एक मांग पत्र प्राधिकरण को भेजा गया है। इसमें औद्योगिक भूखंडों की लीज डीड की शर्तों में बदलाव करने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा शर्तें पूरी करने वाले उद्यमियों से औद्योगिक प्रार्थनों को ट्रांसफर (ट्रांसफर ऑफ मैमोरेण्डम) करने का चार्ज न लेने, बड़े हुए जल सीवर के बिल को ठीक करने, औद्योगिक प्लांटों पर मस्टीरोपी प्लांट योजना में न पेश करने का अनुरोध किया गया है। मस्टीरोपी (फ्लोर वाइज) इंडस्ट्री की बजाए इसका कमर्शिलाइजेशन करे। इसके अलावा 20 अन्य मांगें की गई हैं।

गोल्फ कोर्स बनाने के लिए सात कंपनियों आगे आईं

नोएडा (एसएनबी)। सेक्टर-151ए में बनने वाले गोल्फ कोर्स को बनाने के लिए सात कंपनियां आगे आई हैं। अब इनके कामजातों की जांच की जाएगी। कामजात सही मिलने पर इनकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। अगर एक महीने के अंदर कंपनी चयनित हो गई तो उम्मीद है कि गोल्फ कोर्स बनाने का काम अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोल्फ कोर्स के लिए पिछले महीने टेंडर जारी किया गया था। इसके लिए अब टेकनीकल टेंडर खोला गया है। इसमें सात कंपनियां आगे आई हैं। अब इन कंपनियों के कामजातों की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया में करीब दस दिन का समय लगा जाएगा। अगर कामजातों में सभी मिलते तो फिर फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। अगर कामजातों में कमी मिलती तो दोबारा से टेंडर जारी किया जाएगा। फाइनेंशियल बिड में जो कंपनी सबसे कम रेट देगी, उसको गोल्फ कोर्स बनाने का जिम्मा दे दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब एक महीने का समय लगा जाएगा।

फरार निदेशक गिरफ्तार

नोएडा (एसएनबी)। पुलिस ने घोखाघड़ी के मामलों में फरार चल रहे अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक आरके सिंह ने बताया कि रिविजरा रात तीन साल से फरार अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक रतन विजयवर्गीय को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ थाना सेक्टर 20 में वर्ष 2017 में घोखाघड़ी के कई मामले दर्ज हैं। जबकि कंपनी के मालिक अतुल गुप्ता, विकास आदि पहले ही पुलिस द्वारा घोखाघड़ी के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

कोचिंग देने के नाम पर छात्रों से हजारों की ठगी

मोदीनगर (एसएनबी)। कोचिंग देने के नाम पर छात्रों के साथ हजारों रुपए ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत की गई है। कादराबाद निवासी छात्रा मुस्कान ने बताया कि नए एक स्थान पर एक कोचिंग सेंटर खुला था जिसमें कहा गया था कि पहले प्रवेश लेने वालों को फीस में छूट दी जाएगी। इसके चलते उसने और मोहित आश्री सहित कई छात्रों ने इंटरमीडिएट गणितकी कोचिंग लेने के लिए सेंटर में 25 हजार रुपए जमा करा दिए, लेकिन अब सेंटर बंद है और इसके संचालक फोन भी नहीं उठा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच बात कह रही है।

शादी का झांसा देकर युवती ने लगाया रेप का आरोप, युवक फरार

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। इकोटेक-तीन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहे युवक ने शादी का झांसा देकर एक साल तक रेप किया। शादी का दबाव बनाते पर वह युवती को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका दो बार गर्भपात भी कराया है। पीड़िता को शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मानगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक आरोपी मानगल सितंबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक लिव इन रिलेशनिशिप में रहा है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। बीते जुलाई माह में युवती ने शादी करने की जिद की तो आरोपी युवक फरार हो गया। फोन करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आप के लिए अब ई-संजीवनी ओपीडी एप...

■ सहारा न्यूज व्यूरो

नोएडा।

कोरोना काल में अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सरकार ने घर बैठे ही चिकित्सक से परामर्श लेने की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-संजीवनी एप तैयार किया है। इसके जरिए चिकित्सक से घर बैठे परामर्श लिया जा सकता है। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए अब अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इसके लिए बस अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में ई-संजीवनी एप डाउनलोड करना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डा. दीपक ओहरी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वह अपने मोबाइल में यह एप डाउनलोड कर लें और जरूरत पड़ने पर घर बैठे चिकित्सक से परामर्श लें। उन्होंने बताया ई-संजीवनी एप पर पीएमएस यानी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग से जुड़े चिकित्सक उपलब्ध हैं। इस एप के जरिए घर बैठे उनसे किसी भी तरह की तकलीफ होने पर परामर्श लिया जा सकता है, जो मरीज लंबे उपचार में हैं और कोरोना के डर से अस्पताल नहीं जाने की वजह से

उनकी दवा बीच में छूट गई है तो भी उनके लिए यह एप संजीवनी का काम करेगा। वह घर बैठे ही चिकित्सक से बात करने के बाद दवा जारी रख सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जो वायरस के डर से अपनी बीमारी

सामान्य बीमारियों के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं

इस एप पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग (पीएमएस) से जुड़े चिकित्सक उपलब्ध हैं

बस अपने स्मार्ट फोन से आपको ई-संजीवनी एप डाउनलोड करना होगा

को दबाए बैठे हैं, उनके लिए भी यह एप कारगर साबित होगा। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे लोग भी इस एप का सहारा ले सकते हैं। इस सुविधा को सरकार ने 'स्टे होम ओपीडी' का नाम दिया है। कैसे करें एप डाउनलोड : ई-संजीवनी ओपीडी एप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इस

एप में पंजीकरण करते ही आपका टेकन नंबर जेनरेट हो जाएगा। एप पर ऑनलाइन उपलब्ध डॉक्टरों के नाम देखकर आप उनमें से किसी को चुन सकते हैं। चिकित्सक का चुनाव करते ही वह वीडियो कॉल से कनेक्ट हो जाएंगे। एप पर उपलब्ध चिकित्सकों में फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ईएनटी सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन समेत विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को जोड़ा गया है। अगर किसी के पास फोन नहीं है तो वह स्थानीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर कस्युनिटी हेल्थ अफसर (सीएचओ) के टैबलेट की मदद से परामर्श प्राप्त कर सकता है।

ओपीडी की टाइमिंग : ई-संजीवनी ओपीडी एप पूरे देश में काम कर रहा है। हर सूबे के लिए अलग-अलग समय सारिणी एप पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में

ई-संजीवनी ओपीडी एप पर जनरल ओपीडी सोमवार से शनिवार तक रोजाना सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। जबकि बाल रोग विशेषज्ञ, पल्मोनरी, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ और मनोरोग विशेषज्ञ को ओपीडी के लिए सोमवार से शनिवार तक दोपहर 2 से 4 सायं तक का समय निर्धारित है।

संविदा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, किया प्रदर्शन

■ सहारा न्यूज व्यूरो

नोएडा।

प्राधिकरण में तैनात संविदा के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को भी हड़ताल जारी रखी। इसके अलावा उन्होंने नोएडा स्टेडियम के समक्ष एकत्र होकर प्रदर्शन किया। उधर प्राधिकरण ने भी हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सखी करने का फैसला किया है। प्राधिकरण ने सभी ठेकेदारों को दिए जाने वाले भुगतान में पांच प्रतिशत कटौती कर दी है। आने वाले दिनों में जितने दिन तक कर्मचारी काम नहीं करेंगे, उनका वेतन काटा जाएगा। सीईओ ने ठेकेदारों को साफ कर दिया है कि अगर मंगलवार तक सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लौटते तो ठेकेदारों की सेवा समाप्त कर नई एजेंसी से काम कराया जाएगा।



इस दौरान पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने में लगे रहे। मौके पर एडीसीपी रणविजय सिंह पहुंचे। सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि मंगलवार को पु लिस ऑफिस में वार्ता होगी। उधर प्राधिकरण भी सफाई कर्मचारियों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। प्राधिकरण को सीईओ रिक्त महेश्वरी के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों के ठेकेदारों के भुगतान में 5 फीसद की कटौती कर दी गई है। जितने दिन सफाईकर्मी नहीं आएंगे उनका वेतन काटा जाएगा। सीईओ ने सफाई कर्मचारियों को वेतानवी देते हुए कहा कि अगर काम पर नहीं लौटते तो ठेकेदारों का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और किसी नई एजेंसी को सफाई के लिए हायर किया जाएगा। ज्ञात हो

शहर में करीब 4500 सफाई कर्मचारी हैं। इनमें से करीब 2 हजार कर्मचारी ठेकेदार के अंतर्गत काम किए हैं, इनका सीधे प्राधिकरण से कोई मतलब नहीं है। इन कर्मचारियों को मांग है कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए और सफाई कर्मचारी को नियमित किया जाए, समान वेतन-समान कार्य 2.5 प्रतिशत के बराबर 17023 वेतन दिया जाए, एक साल में कर्मचारियों को बोनस के तौर पर पूरी तनखाह दी जाए और एमएसडब्ल्यू के कर्मचारियों का भी समान वेतन-समान कार्य किया जाए।

गौतमबुद्धनगर में 55 नए केस

नोएडा (एसएनबी)। गौतमबुद्धनगर में सोमवार को कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या केवल 55 रही। जिले में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 6450 हो गयी है और 5691 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार शाम को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान गौतमबुद्ध नगर में केवल 55 नए पॉजिटिव मिलने से कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6599 पहुँच गयी है। एक दिन में 121 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घर पहुंचे। जिले में अब तक 5691 लोग ऐसे हैं जो इलाज से कोरोना को हरा चुके हैं। 810 लोगों का इलाज नोएडा ग्रेटर नोएडा के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जिले में अबतक 43 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है।

गाजियाबाद में कोरोना के 73 नए मामले : सोमवार को गाजियाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के 73 नए मामले सामने आए। जबकि 51 संक्रमित मरीज ठीक हो गए। अब तक मिल चुके कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6634 हो चुकी है। इनमें से कुल 5489 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1078 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचारार्थ हैं।

हापुड़ में कोरोना के नौ नए केस : हापुड़ के पटेलनगर सहित जिले में नौ कोरोना मरीज मिलने से हड़कण मच गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हापुड़ के पटेलनगर में एक, नवज्योति कॉलोनी में एक, असौड़ा में एक, मेरठ रोड आवास विकास में एक, जसस्पनगर में तीन व पिलुखवा के संकेत में भरती व धौलाना में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में लैब टेक्नीशियन निकला कोरोना पॉजिटिव : ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विस्वरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टेस्ट करने वाला लैब टेक्नीशियन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लैब टेक्नीशियन को शहर के कोविड अस्पताल में भर्ती करा उपचार शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विस्वरख सामुदायिक केंद्र का एक लैब टेक्नीशियन कोरोना को चपेट में आ गया है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

गाड़ी हटाने को लेकर भिड़े दो पक्ष चार पर केस, एक धरा गया

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। इकोटेक-तीन कोतवाली क्षेत्र के हल्द्वानी गांव में निर्माणाधीन प्लाट क सामने से कार हटाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है दूसरे पक्ष के लोगों ने प्लाट में निर्माण करा रहे युवक पर लाठी डंडे और पिस्टल को बट से हथला कर दिया। यह घटना सोसाइटी कैम्परे में कैद हो गई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस से चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट

दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर-49 निवासी आशीष बैसोया का ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के हल्द्वानी गांव में स्थित प्लाट पर निर्माण कार्य चल रहा है। बीते 14 अगस्त को उनका भाई मनीष प्लाट पर काम करा रहा था। इसी दौरान एक स्काॅर्पियो गाड़ी प्लांट के सामने आकर रुकी। मनीष ने गाड़ी को ओगे खड़ी करने को कहा तो पड़ोसी युवक उससे गाली गलौज करने लगा और विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपने साथियों को बुला लिया। सबने मिलकर मनीष को लाठी डंडों से पीटा और पिस्टल की बट से भी हमला कर दिया।

हमले के दौरान पीड़ित मनीष के 30 हजार रुपए और सोने की चेन गायब हो गई। पुलिस ने आरोपी वाहिद, साकिर, हामिद व वसीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी वाहिद को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश की जा रही है।

ई-नीलामी सूचना (बिस्तक का पानी से बहिरात्र स्टैंक लगाना 19 एक्टि) निसेस करीम राइड इंटरप्राइज के इतिहास ककाड (ii) पानी से बहिरात्र लगाना 14 एक्टि बावत तथा (ii) पानी से बहिरात्र लगाना 5 एक्टि बावत (सिद्धंख संचालककर्ता : रवि के सिधार्थ शीशिएट्स आइएस्केएलए प्र लि) का निवतन प्रति किलोमिटर आकार पर शुद्ध रूप से 'सेता है जहा ई' आकार पर करने के लिए शुद्ध बहिरात्र को ई-नीलामी कार्य अनिवार्य है। उपरोक्त मॉडिफिकर का निवेदन श्री निवेदन - चीन 80785 72512 से ब्रेक अडॉप्ट कर पृष्ठ निर्मित कर पृष्ठ नीचे/बायाली वरम कांटों के निवट, अर्धपूर, रिस्की में 19-08-2020 से 25-08-2020 के बीच बिदात जा सकता है। ई-नीलामी 28-08-2020 को आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी फॉर्म के लिए, सायन वेबसाइट प्रोड्रेट सिस्टिटेड (नीलामकार) सता - 511, वया सर्व उपर किरण बिडिंडर, आजादपूर कॉमिनिटीय कॉम्प्लेक्स, टिस्ली-110033 की सूत्री उपरी से मोबाइल -965477227 पर समर्क कर अथवा वेबसाइट - www.Salvorsellers.com से डाउनलोड करें। ई-नीलामी फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26-08-2020 को दोपहर 12.30 से पूर्व है।

सूचना निवेदित फूडवर्क लिमिटेड CMC:14889UP1995PLC043677 पंजीकृत कार्यालय - ब्लॉक 1A, सेक्टर-16A, नोएडा - 201301 (उ.प्र.) दूरभाष : +91-120-4096500, फ़ैक्स : +91-120-4096599 ई-मेल : Investor@jubliant.com वेबसाइट : www.jubliantfoodworks.com

सूचना सेबी (सूचीकरण दाखिली एवं प्रकटीकरण आधारकवतार) अधिनियम 2015 के अधिनियम 29 एवं 47 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, सितम्बर 2, 2020, अन्य विषयों के साथ-साथ, जून 30, 2020 को समाप्त तिमाही के अनन्वकीलिष्ट एकल और समोकिड वित्तीय विवरण पर विचार हेतु आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त निर्देशन कंपनी की वेबसाइट www.jubliantfoodworks.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते धुबलैट फूडवर्क लिमिटेड हस्ता/- दिनांक: अगस्त 17, 2020 मोना अग्रवाल सचिन : नील (74399)

विज्ञापन का शेष भाग क्रमशः प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक (पूर्वतक: पंजाब नेशनल बैंक) प्रधान कार्यालय: राम गंगा विहार, फेज-2, मुरादाबाद क्षेत्रीय कार्यालय: 18 संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, गाजियाबाद (उ0प्र0) फोन: 8192805245, 0120-2783535, फ़ैक्स नं०: 0120-2783333, E-Mail- rmgzb@prathamauapbank.com		नीलामी सूचना						
वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्ति नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उक्त बंधक ऋण अचल कर सकेने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्ति को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय के लिए निर्णय लिया है।								
क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्तियों का विवरण	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	ऑनस्ट राशि	कब्जा की तारीख	नीलामी की दिनांक, समय व स्थान
43	हापुड़	ऋणी: श्री निवेश युव पुत्र श्री परमजित युव, सह-ऋणी: श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री परमजित युव, गुलदर: श्रीमती रेनु पत्नी श्री रवि, 91369NC0003218	अवसीय मकान देवलोक कालोनी, प्लॉट नं0 48, हापुड़। जिसका क्षेत्रफल 41.82 वर्ग मीटर है। उक्त प्रॉपर्टी के हक विवेक उप निबन्धक सिद्धि हापुड़ के बही सं0 1, निवद सं0 3895 पृष्ठ सं0 267-302 ऋ0 सं0 1249 दिनांक 20.02.2015 पर दर्ज है।	₹0 799353/- + ब्याज व अन्य धर्मे - वसूली यदि हो तो	₹0 1242000/-	₹0 124200/-	19.08.19	दिनांक: 23.09.2020, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थान: प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, सिथाना प्ला: मेरठ रोड, हापुड़
44	सिथाना (कुलन्दार)	ऋणी: श्रीमती सुनील देवी पत्नी श्री किशोरी लाल सह-ऋणी: श्री किशोरी लाल पुत्र श्री बडी सिंह - 9109ND000001135	मौ0 ननुपरी, हापुड़ रोड पट्टी हरमन सिंह हसील सिथाना जनपद बुलन्दशहर। कुल क्षेत्रफल 88.55 वर्गमीटर। उक्त प्रॉपर्टी के हक विवेक उप निबन्धक सिथाना बुलन्दशहर के बही सं0 1, निवद सं0 2748 पृष्ठ सं0 289-332 ऋ0 सं0 7713 दिनांक 08.08.2014 पर दर्ज है।	₹0 326385/- + ब्याज व अन्य धर्मे - वसूली यदि हो तो	₹0 575000/-	₹0 57500/-	11.10.18	दिनांक: 21.09.2020, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थान: प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, सिथाना प्ला: राज मार्केट, सिथाना, बुलन्दशहर।
45	सिथाना (कुलन्दार)	ऋणी: श्री सुबोध सिंह पुत्र श्री हरि सिंह गुलदर: श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू चन्द्र सिंह 9109NC00004655	गांव रामपुर, हसील सिथाना जनपद बुलन्दशहर कुल क्षेत्रफल 504 वर्ग मीटर है, उक्त प्रॉपर्टी के हक विवेक उप निबन्धक सिथाना बुलन्दशहर के बही सं0 1, निवद सं0 1540 पृष्ठ सं0 333-344 ऋ0 सं0 5026 दिनांक 18.05.2011 पर दर्ज है।	₹0 835339/- + ब्याज व अन्य धर्मे - वसूली यदि हो तो	₹0 1252000/-	₹0 125200/-	11.10.18	दिनांक: 21.09.2020, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थान: प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, सिथाना प्ला: राज मार्केट, सिथाना, बुलन्दशहर।
46	सिथाना (कुलन्दार)	ऋणी: श्री मुदित स्वामी पुत्र श्री पुनीत कुमार, गुलदर: श्री अमित कुमार स्वामी श्री सतीश कुमार व श्री महावीर सिंह पुत्र श्री सुब्रह्मण्य - 9109NC00004831	आवसीय मकान पट्टी डर, सिथाना, बुलन्दशहर। जिसका क्षेत्रफल 235.20 वर्ग मीटर है। उक्त प्रॉपर्टी के हक विवेक उप निबन्धक सिथाना, बुलन्दशहर के बही सं0 1, निवद सं0 2076 पृष्ठ सं0 399-426 ऋ0 सं0 9752 दिनांक 24.09.2012 पर दर्ज है।	₹0 3010040/- + ब्याज व अन्य धर्मे - वसूली यदि हो तो	₹0 2500000/-	₹0 2500000/-	30.08.19	दिनांक: 21.09.2020, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थान: प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, सिथाना प्ला: राज मार्केट, सिथाना, बुलन्दशहर।
उक्त के सम्बन्ध में सम्पर्क करें:- 1. श्रीमती शीखा मित्राल शाखा प्रबंधक, विजय नगर: 0120-2841053, 6395732171, ऋ0 सं0 1 से 2 की लिए, 3. श्री अनिल कुमार गौतम, शाखा प्रबंधक, इन्दिरापुरम: 0120-2605793, 8860870262- क्रम सं. 3 से 31 के लिए, 4. श्री राजेंद्र शर्मा, ऋ0 सं0 21 के लिए, 4. श्री रिचा मिश्रा शाखा प्रबंधक, साहिबाबाद: 0120-2649697, 9821066990- क्रम सं. 21 से 30 के लिए, 5. श्री विनोद कुमार, शाखा प्रबंधक, मेरठ मेन: 0121-4056860, 8860870262- क्रम सं.31 से 41 के लिए, 6. संजीव अग्रवाल शाखा प्रबंधक, रेलवे रोड: 8859590555- क्रम सं. 42 के लिए, 7. श्री सलेक चंद, शाखा प्रबंधक, हापुड़: 9911136224- क्रम सं. 43 के लिए 8. श्री शरद श्रीवास्तव, शाखा प्रबंधक, सिथाना: 7011067790- क्रम सं. 44 से 46 के लिए,								
सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है। नियम एवं शर्तें : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियों सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अनैस्ट धनराशि प्राप्त: 10:00 से सायं 4:00 बजे तक निम्नानुसार जमा करनी होगी:(3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ई0एफ0डी जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई0एफ0डी0 प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई0एफ0डी0 नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्युनिसिपल / टैक्स / बिजली / पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीय एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी की समाप्ति उपरानुसार ही रहेगा।								
दिनांक: 17.08.2020		स्थान: गाजियाबाद						
प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद								